राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः–प.10(8) परि/लेखा/जलेस/2014–15/11वां प्रतिवेदन/602 दिनांक : 27/10/14

कार्यालय आदेश संख्या : 33/2014

विषय :– सीएजी एवं जन लेखा समिति प्रतिवेदनों में आक्षेपित वाहन एवं राशि को अनुपालना में अदेय सूचित करने के संबंध में।

विषयान्तर्गत सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 की विभाग द्वारा की गई अनुपालना पर जन लेखा समिति 2014–15 द्वारा क्रमशः 9वां, 10वां एवं 11वां प्रतिवेदना जारी किया गया है। सीएजी प्रतिवेदनो की अनुपालना में अदेय दर्शायी गई राशि को जन लेखा समिति द्वारा मान्य नहीं किया जाकर सिफारिश की गई कि "राशि अदेय होने के कारणों को यथा समय अभिलेखों में दर्ज नहीं करने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सूचित करें, एवं भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए ठोस कदम उठाये जाये।"

पूर्व में भी जन लेखा समिति की बैठक दिनांक 14 एवं 15.09.2006 में प्रदत्त निर्देशों के तहत विभाग के परिपत्र क्रमांक 19/2006 दि. 16.10.2006 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी होने पर आक्षेपित राशि में से कोई राशि यदि अदेय है तो 3 माह में उसे चिन्हित कर लिया जावे एवं इसे निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना में ही दर्शाया जावे। आक्षेप को सीएजी प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त आक्षेपित राशि को अदेय बताया जाना मान्य नहीं होगा। किन्तु विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशो की पालना अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं की जा रही है।

अतः पुनः एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुच्छेदो में यदि कोई आक्षेपित वाहन एवं राशि अदेय है तो इसे चिन्हित कर निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना में ही सूचित किया जावें। आक्षेप को सीएजी एवं पीएसी प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरांत अनुपालना में आक्षेपित राशि को अदेय दर्शाया जाना मान्य नहीं होगा। निर्देशो की पालना नहीं होने की स्थिति में जिला परिवहन अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उत्तरदायी होगें एवं उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

निर्देशो की पालना सुनिश्चित होवें।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
2. समस्त अति. परिवहन आयुक्त।
3. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
4. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
5. मुख्य लेखाधिकारी, वरि. लेखाधिकारी, लेखाधिकारी (प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय)।
6. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार।

22/10/14

(सुरेश सिंघल)
वित्तीय सलाहकार